

भारत में महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा: विधिक परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ और आगे की राह

अमृता गुप्ता

शोध छात्रा (विधि)

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

सारांश

डिजिटल युग में इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के तीव्र विस्तार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को बदल दिया है। लेकिन इन प्रगतियों के साथ ही साइबर स्पेस एक नए प्रकार की लैंगिक हिंसा का क्षेत्र भी बन गया है। महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा अनेक अपराधों को समेटे हुए है—जैसे साइबर स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, रिवेज पोर्नोग्राफी, पहचान की चोरी, डीपफेक और ऑनलाइन ब्लैकमेल। भारत में इंटरनेट की पहुँच बढ़ने के साथ महिलाओं को लक्षित करने वाले ऑनलाइन अपराधों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। यह शोध-पत्र सामाजिक-वैधानिक दृष्टिकोण से भारत में महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा की विवेचना करता है। इसमें साइबर हिंसा की प्रकृति और रूपों का विश्लेषण किया गया है, उसके कारणों और परिणामों को समझा गया है तथा भारत के संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे—जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय दंड संहिता (IPC), और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 का मूल्यांकन किया गया है। इसमें न्यायिक दृष्टिकोण भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) और के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017), जिनसे डिजिटल अधिकारों और सुरक्षा के बीच संतुलन उजागर होता है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि पीड़ितों के लिए किस प्रकार के सहयोग तंत्र मौजूद हैं—जैसे पुलिस साइबर सेल, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। निष्कर्ष बताते हैं कि कानून प्रवर्तन, जागरूकता और संस्थागत प्रतिक्रिया में गंभीर कमियाँ हैं, जिनमें गहराई तक जमी पितृसत्तात्मक मानसिकता भी शामिल है। अंततः, यह शोध-पत्र अनुशंसा करता है कि व्यापक साइबर हिंसा-विरोधी कानून बनाया जाए, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएँ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सख्त जवाबदेही तय की जाए। मूल रूप से, साइबर हिंसा केवल तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है, जिसके समाधान के लिए कानून, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन का बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।

मुख्य शब्द: साइबर हिंसा, महिलाओं के अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, डिजिटल सुरक्षा, साइबर स्टॉकिंग, रिवेज पोर्नोग्राफी, डीपफेक।

परिचय

डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विस्तार ने संवाद, वाणिज्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। लेकिन वही प्लेटफॉर्म, जो सशक्तिकरण का माध्यम बनते हैं, वे व्यक्तियों—विशेषकर महिलाओं—को नए प्रकार की हिंसा के प्रति भी उजागर कर देते हैं। महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा से आशय है कोई भी ऐसा हानिकारक कृत्य जो डिजिटल माध्यम से किया जाए और जिससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या प्रतिष्ठात्मक नुकसान पहुँचे (UN Women, 2015)। पारंपरिक हिंसा से अलग, साइबर हिंसा गुमनामी, सीमाहीनता और ऑनलाइन सामग्री की वायरल प्रकृति पर आधारित होती है।

भारत एक तीव्र गति से डिजिटलीकृत हो रहा समाज है। यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिलता है—जहाँ लाखों लोग सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन का लाभ उठा रहे हैं, वहीं महिलाएँ ऑनलाइन स्पेस में बढ़ती असुरक्षा का सामना कर रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों—जैसे साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेल और अश्लील सामग्री का प्रकाशन—के मामलों में पिछले दशक में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है (NCRB, 2023)। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन मंच अब उत्पीड़न के बड़े साधन बन गए हैं।

यह शोध-पत्र भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें इसके रूपों, कारणों, विधिक ढाँचे और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल समाज बनाने के लिए सुधार की तात्कालिक आवश्यकता है।

संकल्पना और रूप

साइबर हिंसा से आशय उन सभी जानबूझकर किए गए उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या शोषणात्मक कृत्यों से है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल फ़ोन और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके किए जाते हैं। भले ही यह प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक हानि न पहुँचाए, लेकिन इसके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव किसी भी प्रकार की पारंपरिक हिंसा जितने ही विनाशकारी हो सकते हैं। इस प्रकार की हिंसा एक अदृश्य जाल की तरह है, जो गुमनामी, सीमाहीनता और ऑनलाइन सामग्री की वायरल प्रकृति के कारण और भी भयावह बन जाती है।

महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा अनेक रूपों में प्रकट होती है। इनमें सबसे सामान्य है **साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न**, जिसमें किसी महिला की लगातार निगरानी करना, बार-बार संदेश भेजना या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों का पीछा करना शामिल है। अक्सर इसमें धमकी और ब्लैकमेल की प्रवृत्तियाँ भी जुड़ी रहती हैं, जिससे पीड़िता असुरक्षा और भय का अनुभव करती है। इसके अतिरिक्त, **रिवेंज पोर्नोग्राफी और डीपफेक** का चलन भी तेजी से बढ़ा है। इसमें बिना सहमति के निजी अंतरंग तस्वीरों या वीडियो का प्रसार किया जाता है, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके अश्लील सामग्री बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अपमानित करना या उनसे धन उगाही करना होता है।

इसी प्रकार **ट्रोलिंग और घृणास्पद भाषण** भी साइबर हिंसा का एक प्रमुख रूप है। सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के खिलाफ लक्षित अपमानजनक टिप्पणियाँ, गालियाँ और धमकियाँ दी जाती हैं ताकि उन्हें सार्वजनिक बहस और संवाद से बाहर धकेला जा सके। युवाओं के बीच **साइबर बुलिंग** व्यापक रूप से देखने को मिलती है, जिसमें झूठी अफवाहें फैलाना, किसी को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना या फर्जी पहचान बनाकर उसका मज़ाक उड़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, **पहचान की चोरी और डेटा का दुरुपयोग** भी महिलाओं को गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि निजी जानकारी या तस्वीरें चुराकर नकली प्रोफ़ाइल बनाई जाती है और कई बार धोखाधड़ी भी की जाती है। अंततः, **ऑनलाइन धोखाधड़ी और ब्लैकमेल** जैसे फ़िशिंग स्कैम और यौन शोषण (Sextortion) के मामले सामने आते हैं, जिनमें महिलाओं को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए फुसलाया जाता है और बाद में उसी का इस्तेमाल उन्हें धमकाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साइबर हिंसा केवल एक तकनीकी अपराध नहीं है बल्कि महिलाओं के जीवन, सम्मान और गरिमा पर गंभीर प्रहार है।

वैश्विक दृष्टिकोण

विश्व स्तर पर देखा जाए तो विभिन्न देशों ने साइबर हिंसा से निपटने के लिए अपने-अपने स्तर पर कानूनी और नीतिगत उपाय विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय और राज्य स्तर पर विशेष रूप से **साइबर स्टॉकिंग और रिवेंज पोर्नोग्राफी** के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। वहीं, यूनाइटेड किंगडम ने *Malicious Communications Act, 1988* और हाल ही में पारित *Online Safety Bill, 2023* के माध्यम से तकनीकी प्लेटफ़ॉर्मों पर स्पष्ट दायित्व तय किए हैं, जिनके तहत उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न और हानिकारक सामग्री हटाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जर्मनी का *NetzDG Act* प्लेटफ़ॉर्मों को बाध्य करता है कि वे अवैध सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दें, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने एक अलग **eSafety Commissioner** की नियुक्ति की है, जो पीड़ितों को ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपाय और राहत प्रदान करता है।

इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि विकसित देशों ने साइबर हिंसा को गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती मानते हुए ठोस कदम उठाए हैं। इसके विपरीत, भारत की विधिक व्यवस्था अपेक्षाकृत बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। भारतीय कानून पारंपरिक साइबर अपराधों से तो निपटते हैं, लेकिन नई तकनीकी चुनौतियों—विशेषकर **डीपफेक** और **आई-आधारित उत्पीड़न**—के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान नहीं कर पाते। यही कारण है कि भारतीय संदर्भ में साइबर हिंसा के खिलाफ एक अधिक सुसंगठित, व्यापक और सख्त कानूनी ढाँचे की आवश्यकता महसूस की जाती है।

कारण और परिणाम

महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा के पीछे कई कारण कार्य करते हैं। सबसे पहले, **प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार** इस समस्या को गहरा करता है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की व्यापक उपलब्धता तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से पहुँच

अपराधियों को यह अवसर प्रदान करती है कि वे बिना किसी बाधा के अपने कृत्य कर सकें। साइबर स्पेस की गुमनामी और सीमाहीनता अपराधियों को और भी अधिक साहसी बना देती है। इसके अतिरिक्त, समाज में गहराई तक व्याप्त **पितृसत्तात्मक मानसिकता** भी साइबर हिंसा का एक मूल कारण है। लैंगिक असमानता, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और स्त्री-विरोधी दृष्टिकोण ऑनलाइन व्यवहार में भी झलकते हैं, जिसके चलते महिलाएँ इंटरनेट पर बार-बार लक्षित की जाती हैं।

एक और महत्वपूर्ण कारण है **कानूनी जागरूकता की कमी**। बहुत सी महिलाएँ यह नहीं जानती कि साइबर अपराध की शिकायत कहाँ और किस प्रकार दर्ज करनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। साथ ही, **कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र** भी इस समस्या को गंभीर बनाता है। पुलिस और साइबर सेल अक्सर पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों के अभाव में प्रभावी जाँच नहीं कर पाते।

इन कारणों के गहरे सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम सामने आते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर पीड़ित महिलाएँ गंभीर **आघात, चिंता, अवसाद और कभी-कभी आत्महत्या तक के विचारों** का शिकार हो जाती हैं (Patchin & Hinduja, 2010)। सामाजिक स्तर पर वे ऑनलाइन स्पेस से दूरी बनाने लगती हैं, जिससे उनके लिए शिक्षा, करियर और राजनीतिक संवाद के अवसर सीमित हो जाते हैं। पेशेवर स्तर पर भी उनके **प्रतिष्ठा को नुकसान** पहुँचता है और कार्यक्षेत्र में उनकी भागीदारी प्रभावित होती है। अंततः यह संरचनात्मक रूप से पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को और मजबूत करता है, क्योंकि ऑनलाइन हिंसा महिलाओं की आवाज़ को दबाने और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर करने का माध्यम बन जाती है।

भारतीय विधिक ढाँचा

भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा से निपटने के लिए कई संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत **समानता का अधिकार** दिया गया है, जिसके आधार पर ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाएँ भी समान कानूनी संरक्षण पाने की हकदार हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी देता है, किंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिनमें अश्लीलता, मानहानि और घृणास्पद भाषण शामिल हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत **जीवन के अधिकार में गरिमा और निजता का अधिकार** निहित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने *के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)* मामले में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

वैधानिक स्तर पर, **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 के संशोधन सहित)** में कई प्रावधान किए गए हैं। धारा 66E निजता के उल्लंघन को दंडनीय बनाती है। धाराएँ 67, 67A और 67B अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को रोकने हेतु दंड का प्रावधान करती हैं। धारा 66C और 66D पहचान की चोरी और प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित हैं। धारा 79 और आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर **जिम्मेदारी** डाली गई है कि वे आपत्तिजनक सामग्री को समय रहते हटाएँ।

भारतीय दंड संहिता (IPC) भी इस संदर्भ में कई धाराएँ प्रदान करती है। धारा 354A से 354D के अंतर्गत **यौन उत्पीड़न, झाँकना (Voyeurism), पीछा करना (Stalking), और साइबर स्टॉकिंग** को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धारा 509 महिलाओं की शीलभंग करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाती है। धाराएँ 499 और 500 मानहानि से संबंधित हैं, जबकि धारा 507 गुमनाम संचार द्वारा धमकी को अपराध मानती है। इसके अतिरिक्त, **POCSO अधिनियम, 2012** बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण और *Child Sexual Abuse Material (CSAM)* से सुरक्षा प्रदान करता है।

न्यायिक दृष्टिकोण भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। *श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)* मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित रोक लगाती थी। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन उत्पीड़न और दुरुपयोग से बचाव हेतु संतुलित प्रावधान आवश्यक हैं। इसी प्रकार *के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)* मामले में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जिससे महिलाओं के निजी डेटा और छवियों की बिना अनुमति उपयोग के खिलाफ उनके दावों को मजबूती मिली।

यद्यपि इन प्रावधानों से आंशिक सुरक्षा उपलब्ध होती है, फिर भी भारतीय विधिक ढाँचे में कई कमियाँ हैं। प्रावधान अक्सर पुराने हो चुके हैं और डीपफेक या एआई आधारित साइबर अपराध जैसे नए खतरों का समुचित समाधान नहीं कर पाते। इसी कारण एक **व्यापक और समग्र साइबर हिंसा कानून** की आवश्यकता महसूस की जाती है।

पीड़ित सहयोग तंत्र और चुनौतियाँ

भारत में महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा से निपटने के लिए कुछ संस्थागत और सामाजिक तंत्र मौजूद हैं, लेकिन उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। पुलिस और साइबर सेल इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि कई राज्यों में विशेष साइबर सेल स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनमें प्रशिक्षित जनशक्ति और डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक की कमी अक्सर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त, महिला हेल्पलाइन और महिला थाने शुरुआती सहायता प्रदान करते हैं, किंतु इनकी उपलब्धता सभी राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से नहीं है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authorities) भी पीड़ित महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम महिलाएँ इन सेवाओं का लाभ उठा पाती हैं। गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक समाज इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं—वे न केवल जागरूकता अभियान चलाते हैं बल्कि परामर्श और पीड़ितों के अधिकारों के लिए वकालत भी करते हैं। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों, 2021 के तहत यह दायित्व सौंपा गया है कि वे आपत्तिजनक और हानिकारक सामग्री को शीघ्र हटाएँ। हालाँकि व्यवहार में इन प्लेटफॉर्मों की प्रतिक्रिया अक्सर देर से आती है और कई बार प्रभावी भी नहीं होती।

इन तंत्रों के बावजूद कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या है शिकायत दर्ज करने की जटिल प्रक्रिया। पीड़ित महिलाएँ अक्सर पुलिस थाने जाने से झिझकती हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक कलंक और अपमान का भय सताता है। कई मामलों में पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, जिससे वे आगे आने से हिचकिचाती हैं। तकनीकी दृष्टि से भी पुलिस बलों के पास आवश्यक डिजिटल कौशल और उपकरणों का अभाव है, जिसके कारण साइबर अपराधों की जाँच अधूरी रह जाती है। इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियाँ अपने व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देती हैं और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को उतना महत्व नहीं देती, जिसके चलते शिकायत निवारण की प्रक्रिया अपर्याप्त साबित होती है।

निष्कर्ष और विश्लेषण

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में साइबर हिंसा से निपटने का कानूनी और संस्थागत ढाँचा अभी भी बिखरा हुआ और प्रतिक्रियात्मक है। वर्तमान कानून डीपफेक, एआई आधारित उत्पीड़न या नए तकनीकी खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं हैं। प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता सीमित है और उनमें तकनीकी दक्षता तथा लैंगिक संवेदनशीलता दोनों की कमी है। सामाजिक स्तर पर, पितृसत्तात्मक मान्यताएँ और पीड़िताओं को दोष देने की प्रवृत्ति महिलाओं को आवाज़ उठाने से रोकती है, जिससे अपराधियों को दण्डमुक्ति मिलती रहती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन उत्पीड़न के मुख्य स्थल हैं, अभी भी पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं हैं और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

सुझाव

इस समस्या के समाधान के लिए कई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, भारत में एक **व्यापक और लैंगिक-संवेदनशील साइबर हिंसा विरोधी कानून** बनाया जाना चाहिए, जिसमें डीपफेक और एआई-आधारित अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को **विशेष प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिए, जिसमें डिजिटल फॉरेंसिक कौशल के साथ-साथ लैंगिक संवेदनशीलता भी शामिल हो।

जन-जागरूकता अभियान अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि महिलाएँ अपने अधिकारों और उपलब्ध सहयोग तंत्रों के बारे में जान सकें। विशेषकर युवा महिलाओं और हाशिये पर मौजूद समुदायों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर कड़ी जवाबदेही तय करनी होगी। उन्हें समयबद्ध तरीके से आपत्तिजनक सामग्री हटाने और नियमों का उल्लंघन करने पर दंड भुगतने के लिए बाध्य करना होगा। इसके अलावा, **समग्र पीड़ित सहयोग केंद्र** स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ पीड़िताओं को कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। चूँकि साइबर अपराध सीमाहीन होते हैं, इसलिए **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** भी आवश्यक है, ताकि सीमा पार अपराधों की जाँच और अभियोजन प्रभावी हो सके।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जो केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक स्तरों पर भी गहराई से जुड़ी हुई है। यद्यपि संविधान और विभिन्न कानून आंशिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उनके प्रवर्तन में गंभीर कमियाँ बनी हुई हैं। कानून प्रवर्तन की कमज़ोरियों, सामाजिक कलंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की गैर-जवाबदेही के चलते महिलाएँ निरंतर असुरक्षा का अनुभव करती हैं।

सच यह है कि साइबर हिंसा महिलाओं के मौलिक अधिकारों—समानता, गरिमा और स्वतंत्रता—का उल्लंघन है। इसका समाधान केवल कानून से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें मजबूत कानूनी प्रावधान, प्रभावी प्रवर्तन, व्यापक डिजिटल साक्षरता और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव का समन्वय होना चाहिए। अंततः महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल अपराधों को रोकने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उन्हें डिजिटल युग में समान और सम्मानजनक भागीदारी दिलाने का मूलभूत अधिकार है।

संदर्भ

- Bocij, P. (2004). *Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Yourself*. Praeger.
- Citron, D. K. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Harvard University Press.
- Henry, N., & Powell, A. (2016). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 17(2), 99–115.
- Marwick, A., & Miller, R. (2014). Online harassment, defamation, and hateful speech: A primer of the law and advocacy responses. *Fordham Center on Law and Policy*.
- National Crime Records Bureau (NCRB). (2023). *Crime in India: Statistics*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
- Niaz, U. (2020). Gender-based violence in cyberspace. *Journal of Mental Health and Human Behavior*, 25(1), 5–11.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2010). Cyberbullying and self-esteem. *Journal of School Health*, 80(12), 614–621.
- *Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India*, (2017) 10 SCC 1.
- *Shreya Singhal v. Union of India*, (2015) 5 SCC 1.
- UN Women. (2015). *Cyber Violence Against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call*.